सत्यमेव जयते

संख्या 08/06/2015-बीबीएमबी

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

*****

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग

नई दिल्ली, दिनांक 4th अक्तूबर, 2019

सेवा में,

1 सचिव, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।

2 सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली।

3 विद्युत मंत्रायलय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक।

4 अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली।

5 अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।

6 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मुख्य सचिव।

7 सभी राज्य विद्युत बोर्ड।

**विषय:- अध्यक्ष, भाखडा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के पद पर नियुक्ति के संबंध में।**

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चंडीगढ़ स्थित भाखडा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के मुख्यालय में जल्द ही अध्यक्ष का पद रिक्त हो जायेगा।

2. अध्यक्ष, बीबीएमबी के पद पर अनेक उत्तरदायित्व होते हैं क्योंकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश जैसे भागीदार राज्य सरकारों की कई जटिल अंतर्राजीय समस्याएं होती हैं जिनके लिए कुशल तथा विवेकपूर्ण निर्णय करने की आवश्यकता होती है। अतः इस पद को ऐसे वरिष्ठ तथा प्रख्यात अभियंताओं के द्वारा भरा जाना है जिनके पास प्रमुख सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं के निर्माण, प्रचालन तथा अनुरक्षण का व्यापक अनुभव हो। अध्यक्ष, बीबीएमबी के पद के लिए कार्य संबंधी विवरण की प्रति संलग्न है।

3. अध्यक्ष के पद का वेतनमान चंडीगढ़ स्थित इसके मुख्यालय सहित "केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अनुसार पे मैट्रिक्स 205400-224400 रूपये में लेवल-16" के अनुसार होता है।

4. यह अनुरोध है कि उपयुक्त सिंचाई अथवा विद्युत अभियंताओं के नामांकन उनके अद्यतन सीआर डोजियर (विगत पांच वर्ष), सतर्कता निकासी प्रमाण-पत्र तथा अद्यतन बायोडाटा के साथ संलग्न प्रपत्र में विचार किए जाने के लिए अक्टूबर 31, 2019 तक इस मंत्रालय को भेज दिए जायें। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया जायेगा। अधूरे आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जायेगा।

संलग्न यथोक्त

भवदीया,

(रीता सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-23766242

प्रति-

1. अवर सचिव (आईटी)/एनआईसी विद्युत मंत्रालय को विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
2. ईओ एवं सचिव, डीओपीटी/नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

# बोर्ड स्तर के पदों के लिए आवेदन-पत्र

1. आवेदन किए गए पद का नाम : अध्यक्ष, भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड

2. आवेदन का नाम (पूर्ण अक्षरों में) :

3. पिता का नाम :

4. आवेदक की जन्म तिथि :

5. डाक का पता :

6. दूरभाष संख्या : कार्यालय :
निवास :

7. शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता :

8. विगत दस वर्षों के दौरान धारित पद :

| संख्या | पदनाम/संगठन | से | तक | वेतनमान | तैनाती का स्थान |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

9. क्या गत दस वर्षों के दौरान आवेदक पर कोई शास्ति लगाई गई है और क्या आवेदक के विरूद्ध कोई कार्रवाई की जा रही है अथवा जांच चल रही है ?

तारीखः

(आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर)

# अध्यक्ष बीबीएमबी के पद के लिए कार्य संबंधी विवरण

## कम्पनी प्रोफाईल

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की स्थापना विद्युत मंत्रालय के द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के प्रावधानों की शर्तों के अन्तर्गत भाखड़ा नांगल परियोजना के प्रशासन, रख-रखाव तथा प्रचालन के लिए की गई थी, जो कि राजस्थान तथा पूर्ववर्ती पंजाब के उत्तराधिकारी राज्यों का संयुक्त उद्यम है।

भाखड़ा निमार्ण बोर्ड (बीसीबी) का गठन ब्यास परियोजना के निर्माण के लिए अधिनियम के अन्तर्गत किया था तथा ब्यास परियोजना के पूरा होने के बाद इसे भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) को हस्तांतरित कर दिया गया था। अतः बीबीएमबी भाख़ड़ा नांगल तथा ब्यास परियोजनाओं जो पंजाब हरियाणा राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों का संयुक्त उद्यम है, के प्रशासन, अनुरक्षण तथा प्रचालन कर रहा है।

## कार्य-संबंधी विवरण

अध्यक्ष, बीबीएमबी के पद के कई उत्तरदायित्व होते हैं क्योंकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश जैसे भागीदार राज्य सरकारों की कई जटिल अंतर्राजीय समस्याएं होती हैं जिनके लिए कुशल तथा विवेकपूर्ण निर्णय करने की आवश्यकता होती है। अतः इस पद को ऐसे वरिष्ठ तथा प्रख्यात अभियंताओं के द्वारा भरा जाना है जिनके पास प्रमुख सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं के निर्माण, प्रचालन तथा अनुरक्षण का व्यापक अनुभव हो।

## वेतनमान तथा नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें

अध्यक्ष भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड का वेतनमान चंडीगढ़ स्थित इसके मुख्यालय सहित “केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमवाली, 2016 के प्रावधानों के अनुसार पे मैट्रिक्स 205400-224400 रुपये में लेवल-16” के अनुसार होता है। नियुक्ति की अन्य निबंधन एवं शर्तें केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित बीबीएमबी नियमवाली 1974 के अनुसार होंगी। नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें नियुक्ति की तिथि के समय बीबीएमबी नियमावली **1974** के अनुसार शासित होंगी।

कार्यकाल

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड नियम 1974 के नियम 3 के उप नियम (1) के प्रावधानों द्वारा मार्गदर्शित होता है। जो इस प्रकार है:-

आवेदक के मूल विभाग में कार्यभार ग्रहण करते समय उसके मूल विभाग से अधिवर्षिता के समय निबंधन एवं शर्तों के होते हुए भी अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक सदस्य अपने कार्यकाल में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए कार्यभार ग्रहण करेगा:

परंतु यह कि अध्यक्ष अथवा पूर्ण-कालिक सदस्य अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

बशर्ते यह कि अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक सदस्य साठ वर्ष से अधिक की आयु के पश्चात पद पर कार्य नहीं करेगा।

बशर्ते यह भी कि पहली तथा दूसरी नियुक्ति, यदि कोई हो, के मध्य विस्तारित अवधि तथा बीच की माध्यमिक अवधि सहित अध्यक्ष अथवा पूर्ण कालिक सदस्य, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड का कार्यकाल छः वर्ष से अधिक का नहीं होगा।

आयुः अधिमानतः आयु लगभग 54 वर्ष की होगी तथा आवेदक किसी भी स्थिति में 58 वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होगा।